

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|--|
| (13) | (14) |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of : 1. Director (Administration)/ Senior Administration Officer, Central Ground Water Board —Chairman 2. A Group 'A' Officer, Central Ground Water Board—Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member | Not applicable |

[F. No. 23/6/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (हथौड़ाचालक) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में हथौड़ा चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, हथौड़ाचालक समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-----------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|--|---|
|-----------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|--|---|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--------------|---|--|--|----------------|------|--|
| हथौंड़ा चालक | 04* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1800 रु. | लागू नहीं होता | नहीं | 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) |

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|--|--|-------------------------------|

(8)

(9)

(10)

आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; या समतुल्य।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(ii) लोहार गीरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा

(11)

(12)

शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता ।

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. निदेशक, (प्रशासन) | —अध्यक्ष |
| 2. कार्यपालक इंजीनियर | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. 23/21/2009-के.भू.ज.बो.]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2010

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Hammerman) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hammerman in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Hammerman, Group 'D' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

1. Disqualifications.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | No. of posts | Classification | Pay Band, and grade pay or pay scale | Whether Selection post or Non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruit |
|------------------|---|--|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Hammerman | 4* (2010) *Subject to variation depending on workload. | General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1 Rs. 5200-20200/- + Grade Pay Rs. 1800/- | Not applicable | No | Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). |
| | | | | | | <p>Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those. in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>Note 2 : In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.</p> |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|-----------------------------|
|---|---|-----------------------------|

(8)

(9)

(10)

Essential :

- (i) Matriculate from a recognised Board or equivalent;
- (ii) Certificate in Black Smithy from an Industrial Training Institute.

Not applicable

Two Years

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made

(11)

(12)

Direct recruitment

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :

Not applicable

- 1. Director (Administration) —Chairman
- 2. Executive Engineer —Member
- 3. Administrative Officer —Member

[F. No. 23/21/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.